बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः– 3/अ0प्र0–1–437/2012 1014 /पटना, दिनांक :– 2.6.2020

श्री रामसागर चौधरी, तदेन अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध वर्ष 2010–11 में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के अधीन फेसर रोड ईदगाह से धरनीधर रोड भाया बराटपुर अखाड़ा तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य से संबंधित निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में अनियमितता से संबंधित निगरानी विभाग के पत्रांक 4895 दिनांक 21.08.12 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 254 अनु0 दिनांक 20.01.14 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

2. श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 13.02.2015 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2301 अनु0 दिनांक 22.06.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त श्री कमलेश चौधरी, तदेन अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री विश्वबंधु राजीव रंजन, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 040 अनु0 दिनांक 01.07.2016 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में यह मंतव्य दिया गया कि किसी भी योजना का निविदा आमंत्रण पत्र की समीक्षा अधीक्षण अभियंता द्वारा की जानी चाहिए, जो श्री चौधरी द्वारा नहीं की गयी।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उससे सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री चौधरी के पत्र दिनांक 13.07.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से यह कहा गया कि आलोच्य निविदा प्रकाशन के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना की समीक्षा हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीक्षण अभियंता को इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। मामले की समग्र समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि समाचार पत्रों के माध्यम से आलोच्य निविदा की सूचना प्राप्त होने के बावजूद श्री चौधरी द्वारा योजना के निविदा आमंत्रण पत्र की समीक्षा नहीं की गई जिसके कारण निविदा का निष्पादन नियमानुकूल नहीं किया गया। उक्त आधार पर श्री चौधरी के बचाव बयान को अस्वीकार योग्य पाया गया।

5. इस बीच श्री चौधरी के दिनांक 31.12.17 को सेवानिवृत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को कार्यालय आदेश ज्ञापांक 849 दिनांक 28.03.19 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

6. उपर्युक्त के आलोक में श्री चौधरी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत अगले तीन वर्षो तक पेंशन राशि से प्रतिमाह 10 प्रतिशत की कटौती की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7. उक्त विनिश्चत दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 358 अनु0 दिनांक 17.01.20 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 209 दिनांक 20.05.2020 द्वारा उक्त दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति प्रदान की गयी है।

1/6/20

8. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री रामसागर चौधरी, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) **अगले तीन वर्षों तक पेंशन राशि से प्रतिमाह 10 प्रतिशत की कटौती ।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से
1/6/2020
(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 1015 /पटना, दिनांक:– 2-6-2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

1/6/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 1015 /पटना, दिनांक:– 2-6-2020

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 1015 /पटना, दिनांक:– 2-6-2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को आयोग के पत्रांक 209 दिनांक 20.05.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 1015 /पटना, दिनांक:– 2-6-2020

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री रामसागर चौधरी, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता– फ्लैट नं0–504, लश काउन्टी अपार्टमेन्ट, पोस्ट–आशियाना नगर, डयू फ्रेन्डस कॉलोनी, रोड नं–4, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना–800025 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 1015 /पटना, दिनांक:– 2-6-2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, ~~पटना को~~ विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/6/2020
अपर सचिव

N.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in